

8-18

नाद जर्मे अधिभाषक श्री कबीर शर्मा द्वारा
पेश हुआ दर्त रीप्लायर किया जाने प्रतिवादीगण
को जर्मे सम्मन बलब कर फावली दिनांक 25-10-18
को पेश हो।

लेखक

क/10

प्रतिवादी पेश हुआ करवादी उद्योग
प्रतिवादी नं 2 की को प्रतिवादीगण
AO - न Under taking प्रोपर्टी
- वास्तविक रूप से शोध प्रोपर्टी फावली
दिनांक 13-11-18 को पेश हुआ



प्रतिवादी 2 की
ओर से U.T.
जर्जाल
(मनोतागल)

13-11-18

फावली पेश हुई वकील नाडी उपस्थित
प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से वकालतनामा
श्री लोकेश दाधीच एवं हरिभोम प्रजापत द्वारा
पेश किया प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से
वकालतनामा श्री हरिश राजावत द्वारा पेश किया
जो शामिल फावली के साथ ही एक प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC का पेश किया जो
शा. का. के प्रकरण से संबंधित नाद श्रीमान
जिला एवं सेशन न्यायालय वारा. में जैरकार
के जिसमें प्रार्थना-पत्र में स्थान भादेश मूल
नाद के निस्तारण तक का दिना हुआ है
जिसकी प्रति फावली में शामिल है प्रकरण
श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय में जैरकार होने
से इस न्यायालय में जैरकार होने
कोचिन्त नहीं है अतः प्रकरण खारिज किया
जाता है फावली श्रीमान ज. न. सा. वारा. में
जैरकार वाद